

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्शियल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक : प.1(क)()/आर.एम.एस./डीएलबी/04/पार्ट-11/ 6336 दिनांक : 28-5-18

आदेश

राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम, 1963 के नियम 28 के अन्तर्गत स्थाई लेखाकार की अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.18 की स्थिति को दर्शाते हुए विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 2693-2898 दिनांक 03.04.18 को जारी कर 15 दिवस में आपत्तियों मांगी गई थी।

उक्त अस्थाई वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। परन्तु आयुक्त, नगर परिषद, जालौर ने श्री अशोक कुमार शर्मा तथा आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ़ ने श्री देवेन्द्र कौशिक, कनिष्ठ लेखाकार की पदोन्नति लेखाकार के पद पर होने के कारण उनके द्वारा नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है। जिस पर विचारोपरान्त यथास्थान नाम जोड़ा गया है।

अतः राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम, 1963 के नियम 28 एवं कार्मिक विभाग के आदेश संख्या प.7(3)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 11.09.11 एवं अ.शा.टीप सं. 4(1)कार्मिक/क-2/अ.प्र./2008 दिनांक 12.09.12 की पालना में लेखाकार पद की स्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.18 की स्थिति को दर्शाते हुए निम्नानुसार जारी की जाती है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	जन्म तिथि	नियुक्ति दिनांक	स्थाईकरण दिनांक	योग्यता	विशेष विवरण
01.	श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री सुवालाल, न.नि. जयपुर	04.08.62	01.12.07	01.12.07	इण्टर मिडियट, एल.एस.जी.डी.	
02.	श्री अशोक कुमार शर्मा, न.प. जालौर	14.12.69	01.04.13	01.04.14	एम.कॉम., एम.ए.	
03.	श्री बाबू लाल दवे, न.पा. सुमरपुर	18.05.61	01.04.14	01.04.15	हायर सैकण्डरी	
04.	श्री अब्दुल गफ्फार खान, न.प. करौली	01.07.61	01.04.14	01.04.15	बी. कॉम.	
05.	श्री देवेन्द्र कौशिक, न.प. हनुमानगढ़	05.03.75	01.04.16	01.04.17	स्नातकोत्तर, एल.एस.जी.डी.	
06.	श्री मदानी शंकर व्योस, न.पा. राजलदेसर	02.11.78	01.04.16	01.04.17	स्नातक	

sal
(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1(क)()/आर.एम.एस./डीएलबी/04/पार्ट-11/ 6337-56

दिनांक : 28-5-18

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. उप निदेशक (कैब्ररीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर/भरतपुर/बीकानेर।
04. आयुक्त/अधिशारी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, जयपुर/जालौर/हनुमानगढ़/करौली/सुमरपुर/करौली/राजलदेसर।
05. श्रीलेखाकार, नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
06. निजी/सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक